

अनुमति की शर्तें ।

- (i) उक्त भवन/प्लॉट के निर्माण की स्वीकृति शामिल सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यक्ति, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में विगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही विगम किसी दायित्व के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) नगर निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवधिक विगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नवरो के विशेष निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

स्फल डिडकी केवल आवासीय प्रयोजनाएँ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

जी+1
आवासीय

आवेदन क्रमांक 182 दिनांक 16/07/2019
 प्रार्थी **जयकुमार मरीदासानी** 50 थी मैंगलाल (3) श्रीमती
 ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय
 भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 12216/- (12 हजार 216 रुपये) जसिये रसीद संख्या 1028/3875, 3880
 दिनांक 16/07/19 को जमा करा दी है ।
 P.No: 133/645 चौपासानी
 डाकमिण कोड

16/7/19

सहायक नगर नियोजक
 नगर निगम, जोधपुर

डासरी
 19/7/2019

9351288856

जयकुमार




PHOTO ATTACHED
 NOTARY PUBLIC JOODHPUR